स्वयं सहायता समूह और महिला सशक्तीकरण

डा0 ए0क0 श्रीवास्तव
प्रोफेसर & विभागाध्यक्ष (अर्थशास्त्र)
शासकीय महाविद्यालय जैतवारा
जिला–सतना म0प्र0

सारांश

स्वयं सहायता समूह एक ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से कमजोर एवं उत्पीड़ित, शोषित लोगों को संगठित किया जाए तो बड़ी ताकत बन जाते है। अब तक हुए विभिन्न प्रकार के अध्ययन से पता चला है कि स्वयं सहायता समूह बनने के बाद महिलाओं की सामाजिक पूँजी एवं आर्थिक पूँजी में वृद्धि हुई है और महिला सशक्तीकरण और मजबूत हुआ है। यह लेख स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य कार्यक्षेत्र समस्या एवं सुझाव पर प्रकाश डाल रहा है।

स्वयं सहायता समूह की अवधारणा 'संगठन में शक्ति' पर आधारित है। इन समूहों के गठन के पीछे मान्यता यह है कि बिखरे हुए लोगों को तो उत्पीड़ित व शोषित किया जा सकता है लेकिन यदि उन्हें संगठित किया जाए तो बड़ी ताकत बन जाते हैं। स्वयं सहायता समूह इस बात में विश्वास करता है कि लोग आपस में मिल जुलकर अपनी रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठा सकें। ग्रामीण भारत में महिला स्वयं सहायता समूहों ने हजारों–लाखों गरीब तबके की महिलाओं को न केवल घर की चौखट से बाहर निकाला है बल्कि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में भी समर्थ बनाया है। इसके साथ–साथ उन्हें 'सामाजिक आवाज' भी दी है।

भारत में स्वयं सहायता समूह अपेक्षाकृत नया प्रयोग है लेकिन पिछले वर्षों में इसमें उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। आँकड़ों पर ध्यान दिया जाए तो सर्वाधिक वृद्धि आन्ध्र प्रदेश में हुई है। स्वयं सहायता समूह महिलाओं का ऐसा अनौपचारिक समूह है जो अपनी बचत तथा बैंकों के सूक्ष्म वित्तीयन से अपने समूह के पारिवारिक व व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करता है और विकास सम्बन्धी कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी जैसे अभिशाप को दूर करने तथा महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रायः स्वयं सहायता समूह एकजुटता का प्रतीक होते हैं। यहाँ एक जैसी ही आर्थिक और सामाजिक स्थिति के लोग साथ आते हैं। समूह की सभी सदस्य थोड़ी–थोड़ी बचत करके आपसी सहयोग से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

स्वयं सहायता समूह से आशय :

स्वयं सहायता समूह एक समान सामाजिक–आर्थिक स्तर के पास–पड़ोस के लोगों का एक ऐसा समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो और आपसी सहयोग व संसाधनों से विकास के लिए प्रयासरत हो, जिससे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सकें। सामान्यतया समूह में 15–20 सदस्य होते हैं। सदस्यों द्वारा हर महीने छोटी–छोटी बचत करके धनराशि इकट्ठा की जाती है। समूह द्वारा बचत की जाने वाली धनराशि, इसकी अवधि तथा सदस्यों को किन उद्देश्यों हेतु ऋण दिया जा सकता है, इसका निर्णय स्वयं समूह के सदस्य करते हैं। समूह के सदस्यों की नियमित बैठक होती है, जहाँ वे अपनी समस्याओं पर चर्चा करते हैं। समूह की कार्यप्रणाली लोकतांत्रिक होती हैं, जिसमें सदस्यों को अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। निर्णय सबकी सहमति से लिए जाते है। समूह द्वारा स्वयं अपने अभिलेखों का रख–रखाव किया जाता है। समूह का बैंक में एक बचत खाता खोला जाता है जिसका संचालन स्वयं सदस्यों द्वारा किया जाता है।

समूह के उद्देश्य :

- चिन्हित क्षेत्र की महिलाओं को महिला स्वयं सहायता समूह की आवश्यकता के प्रति संवेदीकृत करना।

- महिला सशक्तीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए समूह के माध्यम से उन्हें संगठित करना और उनके अन्दर समूह भावना जागृत करना।
- समूह की महिलाओं में आत्मविश्वास और क्षमताओं को विकसित करना।
- समूह की महिला सदस्यों के अन्दर बचत की आदत का विकास करना और आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए आय संवर्धन कार्यक्रम चलाने के लिए तैयार करना।
- समाज में लैंगिक भेदभाव को धीरे–धीरे खत्म करना। सामाजिक–आर्थिक तथा सांस्कृतिक रूप से महिला–पुरुष के बीच समानता लाना।
- महिला सदस्यों के जीवन में गुणात्मक बदलाव लाने के लिए उन्हें परिवार नियोजन, प्रजनन, स्वास्थ्य, सन्तुलित आहार, टीकाकरण आदि के बारे में जानकारी देना व जागरूक करना।

समूह के कार्यक्षेत्र :

बहुत सारे लोगों के लिए यह मिथ्या धारणा है कि स्वयं सहायता समूह के द्वारा केवल आर्थिक गतिविधियाँ ही चलायी जाती हैं। इसके द्वारा बचत को संचित किया जाता है, ऋणों का लेन–देन होता है और छोटी–छोटी आय उपार्जक गतिविधियाँ चलायी जाती हैं। लेकिन स्वयं सहायता समूह का कार्यक्षेत्र इससे अधिक विस्तृत है। इसके द्वारा हम महिलाओं को जीवन से जुड़े दूसरे मुद्दों का हल ढूँढ सकते हैं। इसके द्वारा महिलाएँ–बाल विवाह पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या, महिला हिंसा व उत्पीड़न, लैंगिक भेदभाव, महिला शिक्षा अधिकार, पारिवारिक जीवन से जुड़ी परेशानियाँ, तलाक, परित्याग, भरण–पोषण, भत्ता आदि से जुड़े अन्य विषयों को उठा सकती है और मिलकर समुदाय व समूह के सदस्यों को संवेदीकृत कर सकती है। साथ ही इनके समाधान के लिए आवश्यक कदम भी उठा सकती है। इसके अतिरिक्त समूहों के माध्यम से सदस्य स्वास्थ्य, पोषण व देखभाल से जुड़ी अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकती है। उनकी पोषण, स्वास्थ्य, प्रसव व गर्भावस्थाकाल से जुड़ी सावधानियों व देखभाल तथा सरकारी सुविधाओं की जानकारी व पहुँच आसान होती है। परिवार नियोजन व टीकाकरण से जुड़ी बातें व इसके लिए आवश्यक मानसिक प्रेरणाएँ समूह के सदस्यों को एक–दूसरे से प्राप्त होती हैं। घर या बाहर किसी प्रकार की संकटपूर्ण स्थिति आने पर समूह की सदस्य बेहद मददगार सिद्ध होती है और वे एक दूसरे की हर सम्भव मदद करती है। सभी में परस्पर पारिवारिक सदस्य की भाँति प्रेम व सौहार्द का रिश्ता विकसित होता है। वे अधिकार के लिए मिलकर आवाज उठाना सीखती हैं। अब वे कहीं भी एक साथ जाती हैं और सरकारी योजनाओं का भी लाभ अधिक कुशलता से लेने में समर्थ होती हैं।

ग्रामीण भारत में महिला स्वयं सहायतासमूहों ने हजारों–लाखों अशिक्षित गरीब तबके की महिलाओं को न केवल घर की चौखट के बंधन से मुक्त करके बाहर निकाला है बल्कि उन्हें महत्वपूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। इसके साथ–साथ उन्हें एक सामूहिक आवाज भी दी है। भारत में स्वयं सहायता समूहों की शुरूआत व विकास कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने गरीब महिलाओं को संगठित करके आय संवर्द्धन गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक के अन्त में की। भारत में वैसे तो स्वयं सहायता समूह की शुरूआत 1992 में नाबार्ड ने एक योजना के तहत की, लेकिन इसे प्रचलित होने में काफी समय लग गया। भारत में गठित 35 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों में से लगभग 90 प्रतिशत तो महिलाओं से ही सम्बन्धित है। भारत में स्वयं सहायता समूहों की संख्या में महिलाओं की ज्यादा सहभागिता का कारण देश की लगभग 60 प्रतिशत गरीब महिला जनसंख्या का होना है। अब तो सभी सरकारी व गैर सरकारी बैंक व आर्थिक व सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास को प्रोत्साहित कर रहे हैं। पीढ़ी–दर–पीढ़ी गरीबी का दंश झेल रहे परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए स्वयं सहायता समूह एक नयी आशा–किरण लेकर आया है। 'गरीबी हटाओ' के नारे तो कई दशकों से लगते रहे हैं लेकिन गरीबी खत्म होने की जगह अब तक गरीब ही तबाह होते रहे हैं। अब स्वयं सहायता समूह गरीबी के खत्म करने के सपने को हकीकत में बदलने में सक्षम साबित हो रहे हैं। स्वयं सहायता समूह समाज कार्य के इस मूल सिद्धान्त पर आधारित

है कि किसी भी व्यक्ति की सहायता इस प्रकार से करें कि वह अपनी सहायता स्वयं करने में सक्षम हो जाए। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिला सदस्यों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जाती है। इसके द्वारा सदस्य महिलाएँ आपस में मिल जुलकर एक दूसरे की मदद करती है और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहल करती हैं तथा उसके समाधान तक पहुँचती हैं।

स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से सम्बद्ध कुछ योजनाएँ :

भारत सरकार महिला सशक्तीकरण के लिए कुछ योजनाएँ चला रही हैं जो महिलाओं को रोजगार दिलाने में काफी मददगार साबित हो रही है।

स्वयंसिद्धा :

स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं के विकास तथा सशक्तीकरण की यह एक समन्वित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करने, सूक्ष्म वित्तीयन की उपलब्धता तथा सूक्ष्म उद्यमों को प्रोत्साहित करना है।

स्वशक्ति परियोजना :

यह परियोजना अक्टूबर 1998 में ग्रामीण महिला विकास तथा सशक्तिकरण परियोजना के रूप में केन्द्र द्वारा बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश में चलायी गयी। यह परियोजना विश्व बैंक तथा इण्टरनेशनल फण्ड फार एग्रीकल्चर डेवलपमेन्ट द्वारा संयुक्त रूप से प्राप्त सहायता से चल रही है।

स्वावलम्बन :

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को प्रशिक्षण तथा कुशलता प्रदान करना है जिससे वे पोषणीय स्तर पर स्वरोजगार या रोजगार पा सकें।

स्वधार :

यह योजना भारत सरकार ने 2001–2002 में शुरू की जो महिलाओं को कठोर परिस्थितियों में जैसे परिवार से त्यक्त विधवाओं, जेल से छूटी ऐसी महिलाएँ जिनका कोई ठिकाना नहीं हों, तथा प्राकृतिक विपदाओं से बेघर महिलाओं को सहायता पहुँचाती है।

इन्दिरा महिला योजना :

इसका उद्देश्य महिलाओं को अधिकारिता प्रदान करना है। इस योजना को 1995 के दौरान 200 विकास खण्डों में चलाया गया था।

महिला समृद्धि :

यह योजना उत्तर प्रदेश के 10 जनपदों के 23 ब्लाकों में लागू है। इसके अन्तर्गत 1435 तेज तथा मजबूत महिला समूह हैं जिन्हें 'संघ' कहा जाता है। ये संघ परम्परागत व्यवहारों को परिवर्तित करने से लेकर विकास क्रियाओं में भाग लेते हैं। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है। जिससे बिना बाहरी सहायता के वे अपने सामूहिक कार्यक्रम को चला सकें।

समस्याएँ एवं सुझाव :

भारत में स्वयं सहायता समूहों का विकास तो तेजी से हो रहा है लेकिन इन समूहों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रशिक्षण के अभाव के अलावा और भी कई कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ हैं जिन पर ध्यान देकर स्वयं सहायता समूह व्यवस्था को अधिक कारगर व लाभप्रद बनाया जा सकता है। इनमें एक पहलू लघु ऋण देने वाले बैंकों की भूमिका से जुड़ा है। वाणिज्यिक बैंकों की ऋण नीतियाँ स्वयं सहायता समूहों की संरचना व उद्देश्यों से मेल नहीं खाती। पहली अड़चन तो यह आयी कि इन बैंकों को स्वयं सहायता समूह की अवधारणा को समझने में ही लम्बा समय लग गया और अब समझा भी तो पर्याप्त ऋण उपलब्ध नहीं कराया। एक समस्या और है कि इन समूहों का विकास व अन्य समुचित एजेन्सियों से जुड़ाव नहीं हो पाया है। वे एक अलग इकाई के रूप में काम करते हैं जिससे

कोई बड़ी या महत्वपूर्ण गतिविधि को हाथ में नहीं ले पाते। इसका परिणाम यह होता है समूहों को सरकारी परियोजनाओं या पंचायत के कार्यों से जोड़ दिया जाए तो इनकी उपयोगी संस्थाएँ है जिनमें महिलाओं की भागीदारी अवश्य होनी चाहिए। पंचायतों से जुड़कर स्वयं सहायता समूह स्थानीय स्वशासन में हिस्सेदारी कर सकते है और साथ ही राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के बारे में सुझाव भी दे सकते हैं।

पंचायतों से जुड़ाव बढ़ाने और स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को आवश्यक बैठकों में भाग लेने का अवसर देने की जरूरत है। इससे महिलाएँ विकास कार्यों के बारे में निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बन सकेंगी जिससे न केवल बहुमूल्य और सार्थक सुझाव प्राप्त होंगे बल्कि उनमें आत्म विश्वास और प्रबन्धकीय क्षमता भी विकसित होंगी। किन्तु एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा किये गये अध्ययन से निराशाजनक तथ्य सामने आया है कि 50 प्रतिशत से भी कम समूह ऐसे हैं जिनका जुड़ाव पंचायतों से हुआ है इसमें भी एक और दुखद पहलू यह है कि पंचायतों से जुड़े करीब 70 प्रतिशत समूहों की ओर से पंचायत के सदस्य ही ग्राम सभाओं की बैठकों में भाग लेते हैं और समूहों के सदस्यों को निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रखा जाता है। सत्ता प्रतिष्ठानों तथा बैंकों में स्वयं सहायता समूहों के प्रति उपेक्षा का मुख्य कारण यह प्रतीत होता है कि ये समूह मुख्यतया महिलाओं द्वारा चलाये जाते हैं। महिलाओं को गम्भीरता से न लेने और उन्हें दुर्बल मानने की सदियों पुरानी मनोवृत्ति की इस उपेक्षा व भेदभाव के लिए जिम्मेदार है। प्रशिक्षण और चेतना पैदा करने से इस प्रवृत्ति पर भी अंकुश लाया जा सकता है। जाहिर है कि स्वयं सहायता समूह व्यवस्था गाँवों में गरीबी दूर करने और महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जो समय के साथ–साथ अपनी कमजोरियों पर काबू पाते हुए आगे बढ़ती जायेगी। सरकार, स्वयंसेवी, संगठन, बैंक, पंचायतें तथा गाँवों के लोग इन नई अवधारणा को सफल बनाने में अपनी–अपनी भूमिका ईमानदारी से निभायेंगे तो निस्संदेह ग्रामीण महिलाओं का छोटा सा प्रयास एक बड़े अभियान का रूप धारण कर लेगा और सम्पूर्ण भारत का विस्तार होगा।

निष्कर्ष :

निष्कर्ष रूप से अगर यह कहा जाए कि स्वयं सहायता समूहों के निर्माण की योजना भारत सरकार का एक क्रान्तिकारी कदम है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इनके जरिए न सिर्फ लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है बल्कि एकजुट होकर सामाजिक कुरीतियों, नारी उत्पीड़न तथा ऊँच–नीच के भेदभाव को भी मिटाया जा सकता है। ग्रामीण गरीबों की आर्थिक उन्नति का सशक्त मंच बनकर उभर रहे इन समूहों की बदौलत ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने लगी है।

सन्दर्भ :

1. भारतीय अर्थव्यवस्था : दत्ता एण्ड सुन्दरम् – एस0 चन्द एण्ड कम्पनी लि0 नई दिल्ली।
2. बुर्रा एन0, देशमुख रानाडिव, जॉय एण्ड मुर्थी के0 माइक्रो क्रेडिट पावर्टी एण्ड इम्पावरमेन्ट, सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली–2005
3. यादव चन्द्रभान : महिलाओं की सफलता का सशक्त माध्यम स्वयं सहायता समूह, कुरुक्षेत्र, जुलाई 2013
4. पार्थसारथी एस0के0 अवेयरनेस, ऐसेस, एजेन्सी : इक्सपीरियंसेस आफ स्वयं शिक्षण प्रयोग इन माइक्रो फाइनेन्स एण्ड वूमेन इम्पावरमेन्ट, 2005
5. लक्ष्मी रामचन्द्र एण्ड पार्टी : सेल्फ हेल्प ग्रुप इन बेलारी : माइक्रो फाइनेन्स एण्ड वूमेन इम्पावरमेन्ट, द जनरल आफ फैमिली वेलफेयर, वोल्यूम 55, नं0 2–2
6. शर्मा, डी, ''शान्ति मैत्री मिशन संस्थान, मरुस्थलीय ग्रामीण विकास का पुरोधा, कुरुक्षेत्र, जुलाई 2013
7. एन0डी0 जार्ज, भारत में लघुवित्त, मुद्दे और रणनीतियाँ, योजना, जनवरी 2008, पृ0 12–17

8. एम0 श्रीवास्तव, मुहम्मद युनुस का योगदान, योजना, 2008, पृ0 18

9. गुप्ता एवं एस0, स्वयं सहायता समूह के द्वारा ग्रामीण भारत का विकास, कुरुक्षेत्र, जुलाई 2013, पृ0 23–26